आर.एन.आई. नं. RAJHIN (2003) 8976
Postal Reg. No. *JaipurCity/203/2014-16*

निर्भीक निडर निष्पक्ष

पाक्षिक

न्यायिक ज्वाला

''न्याय करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसा लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ है'' ''यदि कहीं भी अन्याय है तो वह न्याय के लिए खतरा है''

वर्ष 11 अंक 23 *संस्थापक : स्व. दुर्गाप्रसाद शर्मा* जयपुर, 10 दिसम्बर, 2014 पृष्ठ-8 मूल्य : 5 रु. Website: www.nyayikjwala.org.

गिरफ्तारी और जमानत एक दुधारू गाय

वैसे तो संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक अमूल्य मूल अधिकार माना गया है और भारत के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के विषय में काफी दिशा-निर्देश दे रखें हैं किन्तु मुश्किल से ही इनकी अनुपालना पुलिस द्वारा की जाती है। सात साल तक की सजा वाले अपराधों के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने की कानूनन भी कोई आवश्यकता नहीं है किन्तु छिपे हुए उद्देश्यों के लिए पुलिस तो असंज्ञेय और छिटपुट अपराधों में भी गिरफ्तार कर लेती है और जमानत भी नहीं देती। निचले न्यायालयों द्वारा जमानत नहीं लेने के पीछे यह जन चर्चा का विषय होना स्वाभाविक है कि जिन कानूनों और परिस्थितियों में शीर्ष न्यायालय जमानत ले सकता है उन्हीं परिस्थितियों में निचले न्यायालय अथवा पुलिस जमानत क्यों नहीं लेते। देश का पुलिस आयोग भी कह चुका है कि 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनावश्यक होती हैं तो आखिर ये गिरफ्तारियां होती क्यों हैं और जमानत क्यों नहीं मिलती? इस प्रकार अनावश्यक रूप से गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 59 के अंतर्गत बिना जमानत छोड़ दिया जाना चाहिए व पुलिस आचरण की भर्त्सना की जानी चाहिए किन्तु न तो वकीलों द्वारा ऐसी प्रार्थना कभी की जाती है और न ही मजिस्ट्रेटों द्वारा ऐसा किया जाता है? ये यक्ष प्रश्न आम नागरिक को रात दिन कुरेदते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 में प्रावधान है कि किसी गैर-जमानती अपराध के लिए पहली बार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को पुलिस द्वारा भी जमानत दी सकती है यदि अपराध मृत्यु दंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय न हो। किन्तु स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल जहां पुलिस ने इस प्रावधान की अपनी शक्तियों का कभी विवेकपूर्ण उपयोग किया हो और किसी व्यक्ति को जमानत दी हो। पुलिस का बड़ा अजीब तर्क होता है कि यदि वे इस प्रावधान में जमानत स्वीकार कर लेंगे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे इसलिए वे जमानत नहीं लेते। इस प्रकार जमानत जो भी अधिकारी लेगा उस पर भ्रष्टाचार के आरोप तो लगेंगे ही चाहे उसका स्तर कुछ भी क्यों न हो। आश्चर्य की बात है कि जो कार्य पुलिस को करना चाहिए वह कार्य देश के न्यायालय प्रसन्नतापूर्वक करते हैं और वे पुलिस से जमानत नहीं लेने का कारण तक नहीं पूछते, न ही वकील निवेदन करते कि पुलिस ने जमानत लेने से इन्कार कर दिया इसलिए उन्हें न्यायालय आना पड़ा। क्या यह स्पष्ट दुर्भि संधि नहीं है? न ही कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इतिहास में इस हेतु किसी पुलिस अधिकारी से जवाब पूछा है कि उसने जमानत क्यों नहीं ली?

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना संवैधानिक प्रावधानों कि व्याख्या करने के लिए की जाती है किन्तु राजस्थान उच्च न्यायालय में एक वर्ष में लगभग 18000 जमानत आवेदन आते हैं जिससे इस रहस्य को समझने में और आसानी होगी। अन्य हाई कोर्ट की स्थिति भी लगभग समान ही है। जमानत के बहुत से प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचते हैं। जमानत देने में निचले न्यायालयों और पुलिस द्वारा मनमानापन बरतने के अंदेशे के कारण प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन को सीधे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी। शायद विश्व में भारत ही ऐसा देश है जहां लोगो को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक की यात्रा करनी पड़ती है फिर अंतिम न्याय किस मंच से मिलेगा ...विचारणीय प्रश्न है।

गिरफ्तारी का उद्देश्य यह होता है कि अभियुक्त न्यायिक प्रक्रिया से गायब न हो और न्याय निश्चित किया जा सके। किन्तु भारत में तो मात्र 2 प्रतिशत से भी कम मामलों में सजाएं होती हैं अत: 2 प्रतिशत दोषी लोगों के लिए 98 प्रतिशत निर्दोष लोगों की गिरफ्तारी करना अथवा उन्हें पुलिस, मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय अथवा हाई कोर्ट द्वारा जमानत से इन्कार कर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए विवश करने का क्या औचित्य रह जाता है समझ से बाहर है। बम्बई उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील संख्या 685/2013 के निर्णय में कहा है कि यदि एक मामले में दोषी सिद्ध होने की संभावना कम हो व अभियोजन से कोई उद्देश्य पूर्ति न हो तो न्यायालय को मामले को प्रारम्भिक स्तर पर ही निरस्त कर देना चाहिए। मेरे विचार से जब भी किसी मामले में अनावश्यक गिरफ्तार किया जाए या जमानत से इन्कार किया जाए तो अभियुक्त की ओर से यह निवेदन भी किया जाना चाहिए कि मामले में दोष सिद्धि की अत्यंत क्षीण संभावना है अत: उसकी गिरफ्तारी या जमानत से इन्कारी अनुचित होगी और यदि अभियुक्त आरोपित अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया तो हिरासत की अवधि के लिए उसे उचित क्षति पूर्ति दी जाए। इस दृष्टि से तो भारत के अधिकाँश मामले, आपराधिक न्यायालय, अभियोजन और पुलिस के कार्यालय ही बंद हो जाने चाहिए।

इंग्लैंड में पुलिस एवं आपराधिक साक्ष्य अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत पुलिस द्वारा रिमांड की मांग करने पर उसे शपथपत्र देना पडता है। कहने के लिए भारत में कानून का राज है और देश का कानून सबके लिए समान है किन्तु अभियुक्त को तो जमानत के लिए विभिन्न प्रकार के वचन देने पड़ते हैं और न्यायालय भी जमानत देते समय कई अनुचित शर्तें थोपते हैं और दूसरी ओर पुलिस को रिमांड माँगते समय किसी प्रकार के वचन देने की कोई आवश्यकता नहीं है मात्र जबानी तौर मांगने पर ही रिमान्ड दे दिया जाता है। पुलिस द्वारा रिमांड मांगते समय न्यायालयों को पुलिस से अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि वे रिमांड के समय देश के संवैधानिक न्यायालयों द्वारा जारी समस्त निर्देशों और मानवाधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय संधि की समस्त बातों की अनुपालना करेंगे।

यद्यपि देश का कानून गिरफ्तारी के पक्ष में नहीं है फिर भी गिरफ्तारियां महज इसलिए की जाती हैं कि पुलिस एवं जेल अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को यातना न देने और सुविधा देने, दोनों के लिए वसूली करते हैं तथा अभिरक्षा के दौरान व्यक्ति पर होने वाले भोजनादि व्यय में कटौती का लाभ भी जेल एवं पुलिस अधिकारियों को मिलता है। इस प्रकार गिरफ्तारी में समाज का कम किन्तु न्याय तंत्र से जुड़े सभी लोगों का हित अधिक निहित है।

आस्ट्रेलिया में जमानत को व्यक्ति का अधिकार बताया गया है तथा जमानत के लिए अलग से एक कानून है किन्तु हमारे यहाँ तो धन खर्च करके स्वतंत्रता खरीदनी पड़ती है। उत्तर प्रदेश में तो सत्र न्यायाधीशों द्वारा अग्रिम जमानत लेने का अधिकार ही दिनांक 01.05.1976 से छीन लिया गया है और इस लोक तंत्र में स्वतंत्रता के अधिकार को एक फरेब व मजाक बनाकर रख दिया है। पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार मात्र तभी होना चाहिए जब कोई सात साल से अधिक अवधि की सजा वाला अपराध उसकी मौजूदगी में किया जाए अन्यथा जब मामला न्यायालय में चला जाए व गिरफ्तारी उचित और वांछनीय हो तो सक्षम मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त किया जा सकता। गिरफ्तारियों और जमानत का यह सिलसिला इसलिए जारी है क्योंकि यही भारतीय न्याय प्रणाली उर्फ मुकदमेबाजी उद्योग की रीढ़ है और सम्बद्ध लोगों के लिए दुधारू गाय है। सत्तासीन लोग भी पुलिस क्रूरता और पुलिस की भय उत्पन्न करने वाली कर्कश आवाज़ के दम पर ही शासन कर रहे हैं।

।। सत्यमेव जयते ।।

जमानत स्वीकार या अस्वीकार करना न्यायाधीशों का विशेषाधिकार

हमारे देश की कानून की किताबों में या देश की उच्चतर न्यायपालिका ने जमानत के मामलों में कुछ भी लिखा हो या निर्देश जारी किये हो किंतु वास्तविकता यही है कि किसी भी मामले में जमानत स्वीकार करना या अस्वीकार करना न्यायाधीशों का विशेषाधिकार है। जमानत के मामलों में न्यायाधीशों को किसी भी स्तर पर जवाबदेही नहीं बनाया गया है और इसी का परिणाम है कि एक फर्जी व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर बैठ जाता है और करीब 3 हजार लोगों की जमानते स्वीकार कर लेता है। यहां यह भी समझ से बाहर है कि जो मामला मुंसिफ अदालत में जमानत योग्य नहीं था वह अगले ही दिन सत्र न्यायालय में जमानत योग्य कैसे हो जाता है? यहां एक प्रकरण को उदृत करना प्रासंगिक होगा:-

"एक व्यक्ति ने वर्ष 1990 में सरकार के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए कहां कि उसने एक संस्था में सदस्यता हेतु 1100 रूपये का चैक वर्ष 1981 में जमा कराया था किंतु संस्था ने न तो उसे सदस्यता प्रदान की और ना ही उसकी राशि लौटाई। जांच में पाया गया कि शिकायत कर्ता ने जिस चैक से 1100 रूपये जमा कराना कहा है वह चैक तो 1981 में ही बिना भुगतान के बैंक से लौट आया था और इस शिकायत का निस्तारण मान लिया गया। वर्ष 1994 में इसी शिकायतकर्ता ने इसी मामले की एक प्रथम सूचना रात को 9 बजे शहर के एक थाने में दर्ज कराई और पुलिस के आला अफसर ने रात को 11 बजे इस मुकदमें की जांच शहर से 20 किलोमीटर दूर एक अन्य थाने को ट्रान्सफर कर दी। संबंधित थाने ने आरोपी को रात 2.30 बजे गिरफ्तार कर अगले रोज शाम को सक्षम न्यायाधीश के निवास स्थान से पांच दिन का रिमांड हासिल कर लिया। जैसा कि उपर लिखा जा चुका है उसी क्रम में आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र अधिनस्थ अदालत द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इस मामले में आरोपी के विरूद्ध 420/406 धाराओं में चार्ज शीट न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई और न्यायाधीश ने चार्ज भी लगा दिया। मामले की अपील सत्र न्यायालय में हुई जहां आरोपी को आरोप से मुक्त कर दिया। यहां यह बताना भी रोचक होगा कि जब उस पुलिस के कनिष्ठ अधिकारी से पूछा गया कि धारा 420 व 406 दोनों एक साथ कैसे लग सकती है? उसका कहना था कि मामला तो 406 का था किंतु उसकी मियाद तीन साल होती है और 420 की कोई मियाद नहीं होती इसीलिए हम लोग 406/420 लगाकर न्यायालय में चार्ज शीट प्रस्तुत कर देते है और न्यायाधीश पुलिस द्वारा लगाई गई धाराओं को ही सही मानते हुए कार्यवाही करते है।"

विडम्बना यह है कि यह राष्ट्र करीब 1 हजार वर्षो तक गुलाम रहा जिसमें करीब 700 वर्ष विदेशी आक्रान्तो ने इस देश पर राज किया और उसके पश्चात करीब 200 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा। देश आजाद भले ही हो गया हो लेकिन कानून आज भी अंग्रेजो वाले ही चल रहे है जिसमें पुलिस को सर्वशक्तिमान बनाया गया है वह चाहे जिसे मनमाफिक धारा लगाकर गिरफ्तार कर सकती है और पुलिस चाहे तो साधारण धारा लगाकर आरोपित को जमानत का लाभ दिला सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी हाल में जमानत के मामलों में पुलिस को निर्देश जारी किये है जिसमें पुलिस को बाध्य किया गया है कि वह साधारण मामलों में गिरफ्तारी से पूर्व आरोपी को नोटिस देगी इसके परिणाम आने अभी बाकी है। देश की अदालतो में करीब 2 करोड आपराधिक मुदकमे लंबित है जिनमे एक एक मुकदमे को निपटने में 10 से 15 वर्ष लगना आम बात है और सजा की दर भी सात प्रतिशत से अधिक नहीं है। मानवाधिकारों की बडी बडी बाते करने वाला यह देश बिना किसी अपराध किये लाखों लोगों के जेलो में सड़ने पर मौन है और देश के लोग इस भ्रम में जी रहे है कि यहां कानून का शासन है।

सत्यमेव जयते।

सम्पादकीय ....

कोयला घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री से जांच

देश में हुए अब तक के सबसे घोटाले जिसमें सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार एक लाख छियासी हजार करोड का घोटाला हुआ इस घोटाले के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोयला मंत्री थे और उनकी आज्ञा एवं स्वीकृति के बाद ही विवादित आवंटन हुए जिसे देश की सर्वोच्च अदालत ने न केवल अवैध माना बल्कि अपराधिक मानते हुए समस्त आवंटनों को रद्द किया।

अभी हाल ही में सीबीआई ने कोयला ब्लॉक की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को बताया कि उसे कोयला मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ की अनुमति नहीं दी। अदालत ने कडे शब्दो में फटकार लगाते हुए सीबीआई से कहा कि आपको नहीं लगता कि तत्कालीन कोयला मंत्री से पूछताछ जरूरी थी? कोर्ट ने तलख टिप्पणी के साथ यह भी कहा कि आपको नहीं लगता कि एक स्पष्ट तस्वीकर पेश करने के लिए उनके बयान जरूरी थे। सीबाआई के जांच अधिकारियों के पास इसका कोई सही उत्तर नहीं था और होता भी कैसे क्योंकि सीबीआई प्रधानमंत्री के अधीन है वह उनसे प्रश्न करने का साहस कैसे जुटा सकती थी?

हम बार बार देश के कानूनों की दोहाई देते हुए नहीं थकते कि कानून के सामने सब समान है इससे बडा झूठ ओर कुछ नहीं हो सकता। स्पेक्ट्रम घोटाला भी करीब इतनी ही राशि का था जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत के निर्देशों के कारण तत्कालीन मंत्री ए राजा व अन्य मंत्रियों को सलाखों के पीछे भेजा गया तब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि मनमोहन सिंह बाहर क्यो है? यह सच है कि देश का आम नागरिक आज भी मनमोहन सिंह को ईमानदार मानता है किंतु पद पर बने रहने के लिए उनके शासन में जो घोटाले हुए है उसकी जिम्मेवादी से वह कैसे बच सकते है। कोयला घोटाले की कालिक से तो सीबीआई प्रमुख भी नहीं बचे जिनका मामला अभी देश की सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है।

भ्रष्टाचारियों का रिकॉर्ड गोपनीय बताने पर नोटिस

चंडीगढ़। सूचना के अधिकार के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त हरियाणा कॉडर के अधिकारियों के बारे में मांगी गई जानकारी नहीं देने पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जज जसवंत सिंह ने राज्य सरकार व राज्य सूचना आयोग को नोटिस जारी किया है।

हरियाणा सूचना अधिकार मंच के राज्य संयोजक एवं आरटीआई कार्यकर्ता रोहतक निवासी सुभाष ने मुख्य सचिव कार्यालय से 1 जनवरी, 2000 से 31 अक्टूबर 2013 तक हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों कार्यरत एवं सेवानिवृत्त हुए आइएएस, आईपीएस, आइआरएस, एचसीएस एवं एचपीएस अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों, भ्रष्टाचार के दर्ज मामले के सम्बन्ध में जानकारी मांगी थी। मुख्य सचिव कार्यालय के राज्य जन सूचना अधिकारी ने यह जानकारी देने से मना करते हुए कहा कि यह नियोक्ता और नियुक्ति प्राप्त करने वाले के बीच का मामला है। यह जानकारी व्यापक जनहित में नहीं है, इसलिए नहीं दी जा सकती। इससे किसी भी तरह के मामले में लिप्त अधिकारी के मनोबल पर असर पड़ेगा।

मुख्य सचिव कार्यालय के अपील अधिकारी ने भी राज्य जन सूचना अधिकारी की राय पर सहमत जताते हुए जानकारी नहीं देने पर मुहर लगा दी। मामला आयोग में गया। मुख्य सूचना आयुक्त नरेश गुलाटी ने भी मुख्य सचिव कार्यालय के जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी के रुख से सहमति जताते हुए जन सूचना अधिकारी के पक्ष में फैसला दिया था। आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष ने अपने वकील प्रदीप रापड़िया के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि जनता को जानने का पूरा हक है कि कौन अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है और उनके खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाई की है। ऐसी सूचना व्यक्तिगत नहीं हो सकती। आरटीआई कार्यकर्ता कहना है कि राज्य जन सूचना अधिकारी के जवाब में लगता है कि जानकारी सार्वजनिक होने पर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों का हौसला टूट जायेगा। यानि यह उन्हें संरक्षण देने का मामला है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता का पक्ष सुनने के बाद 15 जनवरी 2015 तक जवाब देने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई के खिलाफ जांच का खुलासा

नई दिल्ली। केन्द्रीय सूचना आयोग ने कानून मंत्रालय को भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के.जी. बालाकृष्णन के खिलाफ कथित कदाचार की जांच के आग्रह पर की गई कार्रवाई का खुलासा करने का आदेश देते हुए कहा कि पूर्व सीजेआई के बारे में कार्यपालिका के मध्य हुआ पत्राचार विशेषाधिकृत पत्राचार नहीं है।

सूचना आयुक्त श्रीधर अचार्युलु ने कहा कि अगर कुछ देर के लिए यह मान भी लिया जाए कि पूर्व सीजेआई के खिलाफ जांच के लिए आग्रह पर की गई कार्रवाई के संबंध में सूचना विशेषाधिकृत है तो भी यह विशेषाधिकार सूचना का अधिकार कानून की धारा 8 (1) के तहत सूचना के लिए आग्रह खारिज करने का आधार नहीं होता। जब बालकृष्णन देश के प्रधान न्यायमूर्ति थे तब आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल ने सरकार के जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से कथित कदाचार के लिए सीजेआई के खिलाफ जांच करने का आग्रह किया था। यह मामला इसी से संबंधित है। अग्रवाल ने अपने आरटीआई आवेदन के माध्यम से जांच के लिए किए गए अपने आग्रह पर की गई कार्रवाई के बारे में हुए पत्राचार, फाइल नोटिंग, दस्तावेजों आदि की प्रतियां मांगी थी। मंत्रालय की ओर से सूचना मुहैया नहीं कराई थी। बहरहाल, अचार्युलु ने कहा जो सूचना मांगी गई है, उसका संसद के या राज्य विधायिका के विशेषाधिकार से कोई लेना देना नहीं है।

मोदी हो सकते हैं टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर!

न्यूयार्क। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विश्व के उन 50 नेताओं, उद्योगपतियों समेत बड़ी नामचीन हस्तियों में शामिल हैं जो इस बार अमेरिकी पत्रिका टाइम के 'पर्सन ऑफ द ईयर' हो सकते हैं। ऑनलाइन वोटिंग के जरिये वह पहले स्थान पर आ गए हैं। इस श्रेणी में रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन दूसरे स्थान पर हैं।

दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर 2014 संस्करण अगले महीने आने वाला है। इसके लिए ऑनलाइन वोटिंग लाइनें खुली हैं। पत्रिका के प्रकाशन के अनुसार ये सम्मान उसी हस्ती को मिलेगा, जो पिछले साल अच्छे या बुरे कारणों से सुर्खियों में छाए रहे। मोदी का उल्लेख सबसे विवादास्पद क्षेत्रीय नेताओं में करने वाली पत्रिका ने अब कहा है कि मोदी ने आर्थिक विकास के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी को आम चुनावों में ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इसके बाद उन्होंने बखूबी प्रधानमंत्री पद संभाला है। टाइम पत्रिका ने अपने पाठकों को उन हस्तियों के लिए वोट करने को कहा है जो उनकी समझ में 'पर्सन ऑफ द ईयर' खिताब से नवाजे जाने के हकदार हैं। इससे पहले टाइम एडिटर्स च्वाइस की 50 हस्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा।

पुतिन को पछाड़ा

मोदी इस दौड़ में अब तक 7.7 फीसद वोट पाकर पहले स्थान पर तेजी से पहुंच गए हैं। दूसरे स्थान पर 7.6 फीसद वोट के साथ रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन हैं। दोनों के बीच ये फासला बड़ी तेजी से घटा। दोपहर तक वोटिंग में मोदी 3.6 फीसद वोटों के साथ चौथे पायदान पर थे। पुतिन तीसरे पर थे। शाम होते-होते बहुत तेजी से मोदी दूसरे नंबर पर आए। कुछ समय दोनों ने पहले पायदान पर बराबरी की और फिर मोदी पहले स्थान पर पहुंच गए। टॉप छह के अन्य लोगों में क्रमशः अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन कैरी (6.2 फीसद मत), अपनी जान जोखिम में डालकर इबोला के मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर और नर्स (3.9 फीसद मत) शांति का नोबेल जीतने वाली पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई (3.4 फीसद मत) और अमेरिकी उद्योगपति व स्पेस एक्स के मालिक इलोन मस्क (2.8 फीसद मत) शामिल हैं।

'मीडिया एवं न्यायिक जवाबदेही-मीडिया की सक्रियता' पर संगोष्ठी

न्यायालय और मीडिया का अति-उत्साह जनहित में नहीं

खबरों को सनसनीखेज बनाने से बचे मीडिया : जस्टिस राका

राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने मीडिया एवं न्यायिक जवाबदेही विषय पर आयोजित सेमीनार में कहा कि न्यायालयों एवं मीडिया का अति उत्साहपन जनहित में नहीं है। न्यायालयों को जहां निष्पक्ष होकर अपने निर्णय करने होते हैं, वहीं मीडिया भी तथ्यों को सबके सामने रखता है।

संगोष्ठी मीडिया इंफोर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन सेंटर ऑफ इंडिया (मिक्की) तथा फ्रेडरिक इबर्ट स्टिफटंग के सहयोग से आयोजित की गई थी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विकास अध्यक्ष संस्थान के निदेशक प्रो. नरेश दाधीच ने कहा कि मीडिया ने रिएलिटी को हाइपर रिएलिटी में दिल दिया है। मीडिया आज सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही का मूल्यांकन तो कर रहा है, लेकिन स्वयं, मीडिया की जवाबदेही कौन तय करेगा। उन्होंने पत्रकारों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी चिंता प्रकट की।

संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि मिक्की की निदेशक नंदिनी सहाय ने कहा कि अभी तक तीन करोड़ से अधिक मामले न्यायालयों के सामने विचाराधीन हैं और न्यायाधीशों के हजारों पद रिक्त हैं। ऐसे में त्वरित न्याय का सपना कैसे साकार होगा। इसके साथ ही राजेश्वर दयाल ने मीडिया के विभिन्न आयामों पर विस्तार से मंथन

(शेष पृष्ठ चार पर)

माननीया मुख्यमंत्री को पत्र

पुलिस बल की तैनाती : कानून व्यवस्था तथा अनुसंधान एवं दोषसिद्धी

श्रीमती वसुन्धरा राजे,
माननीया मुख्यमंत्री
राजस्थान सरकार
जयपुर

मैं आशा करता हूं कि न्याय व्यवस्था में प्रसंग में मेरे पूर्व निवेदन दिनांक 04.01.14 व 01.02.2014 का अवलोकन करने का आपको अवसर मिला होगा। इसी क्रम में आप इस तथ्य से अवगत होंगे कि अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या 256 और भारत में 130 पुलिस है जबकि अमेरिका में भारत की तुलना में प्रति लाख जनसंख्या 4 गुणे मामले दर्ज होते हैं। फिर भी भारत में प्रति लाख जनसंख्या 56 केन्द्रीय पुलिस बल इसके अतिरिक्त हैं। अमेरिका में प्रति लाख जनसंख्या 5806 मुकदमे दायर होते हैं जबकि भारत में यह दर मात्र 1520 है। तदनुसार भारत में प्रति लाख जनसंख्या 68 मात्र पुलिस होना पर्याप्त है। किन्तु भारत में मात्र 25 प्रतिशत बल ही थानों में जनता की सेवा के लिए तैनात है और शेष बल लाइन आदि में तैनात हैं जिसमें से एक बड़ा भाग अंग्रेजी शासनकाल से ही विशिष्ट लोगों को वैध और अवैध सुरक्षा देने, उनके घर बेगार करने, अपना निजी व्यवसाय संभालने, वसूली करने आदि में लग जाता है। जहां तक इन तथ्यों और आंकड़ों का प्रश्न है आज इंटरनेट युग में ये सब इन्टरनेट पर उपलब्ध है।

भारत में अंग्रेज, जनता पर अत्याचार कर उनका शोषण करने और ब्रिटेन के राजकोष को धन से भरने के लिये आये थे अत: उनकी सुरक्षा को खतरे का अनुमान तो लगाया जा सकता है। किन्तु जनतंत्र में शासन की बागडोर जनप्रिय, जनता के बीच रहने वाले, सेवाभावी और साफ छवि वाले लोगों के हाथों में होती है अत: अपवादों को छोड़ते हुए उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हो सकता। फिर भी इन राजपुरुषों की सुरक्षा को लोकतंत्र में भी कोई खतरा होता है तो उसके लिए उनका आचरण ही अधिक जिम्मेदार माना जा सकता है।

पुलिस अपनी बची खुची ऊर्जा व समय का उपयोग अनावश्यक गिरफ्तारियों में करती है। वर्ष भर में देश में लगभग एक करोड़ गिरफ्तारियां होती हैं व देश के पुलिस आयोग के अनुसार 60 प्रतिशत गिरफ्तारियां अनावश्यक हो रही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार भी देश में गत तीन वर्षों में कम से कम 3,668 अवैध गिरफ्तारियां हुई हैं। यह आंकड़ा तो मात्र रिपोर्ट किये गए मामले ही बताता है जो वास्तविकता का मात्र 5 प्रतिशत ही है। इसमें राज्य आयोगों और बिना रिपोर्ट हुए/दबाये गए आंकड़े जोड़ दिए जाएं तो स्थिति भयावह नजर आती है।

दुखद तथ्य है कि अपनी सुरक्षा के लिए, जिस पुलिस पर देश की जनता पूरा खर्च कर रही है उसका उसे मात्र 25 प्रतिशत ही मिल रहा है और न केवल आम नागरिक की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है बल्कि अनुसंधान में देरी का लाभ दोषियों को मिल रहा है। आपराधिक मामलों में 10-15 वर्ष मात्र अनुसंधान में आम तौर पर लगना इस दोषपूर्ण तैनाती नीति की ही परिणति है। अत: अब नीति बनायी जाए कि कुल पुलिस बल का कम से कम आधा भाग जनता की सेवा में पुलिस थानों में तैनात किया जाए ताकि जनता की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, अपराधियों को शीघ्र दंड मिल सके और उन पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके।

यदाकदा किसी संवेदनशील मामले में न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अनुसंधान का आदेश दिया जाता है तो भी साक्षियों के बयान हैड कांस्टेबल ही लेता और वही रिपोर्ट बनाता है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तो वातानुकूलित कार्यालयों में बैठकर मात्र हस्ताक्षर ही करते हैं और बयान लेने कहीं बाहर नहीं जाते हैं। मात्र हस्ताक्षर करने के लिए देश की गरीब जनता की जेब से इतना भारी वेतन और सुविधाएं देना किस प्रकार न्यायोचित है।

पुलिस तो जनता की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में कार्य करने वाला बल है जिसका कार्यालयों में कोई कार्य नहीं है। सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को कार्यक्षेत्र में भेजा जाना चाहिए और उन्हें अपवादों को छोड़कर, हमेशा ही चलायमान ड्यूटी पर रखा जाना चाहिए। आज संचार के उन्नत साधन हैं अत: आवश्यकता होने पर किसी भी पुलिस अधिकारी से कभी भी और कहीं भी संपर्क किया जा सकता है और पुलिस चलायमान ड्यूटी पर होते हुए भी मशीनीकृत कार्यालय का कामकाज देख सकती है। पुलिस अधिकारियों को यह भी निर्देश हो कि वे पुलिस थानों के कार्यालय की बजाय जनता से सम्पर्क कर निरीक्षण रिपोर्ट बनाएं।

मैं आपको यह निवेदन करना प्रासंगिक समझता हूं कि जनता की सुरक्षा और पुलिस बलों की तैनाती के सम्बन्ध में नीति पर विचारण करने व बनाने का अनन्य अधिकारी मात्र चुनी गई सरकार को ही है। किन्तु मेरे पूर्व निवेदन को आपके गृह मंत्रालय के बुद्धिहीन अधिकारियों ने क्रमश: पुलिस विभाग, जिला पुलिस अधीक्षक और अंतत: स्थानीय थाना प्रभारी को भेज दिया और अंतत: स्थानीय थाना प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर जिला पुलिस अधीक्षक के पत्रांक प-60 अ.शा/चुरू/2014/15791-93 से उक्त पत्र की अंत्येष्टि कर दी गई है। अंतर्मन को इससे बहुत पीड़ा हुई है और मैं यह समझने में असमर्थ पाता हूं कि आपकी लोकप्रिय और चुनी गई सरकार में नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रभारी पुलिस थाना को सौंप दिया गया है अथवा आपकी सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों की बजाय कुछ बुद्धिहीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संचालित एक मूर्खमंडली रह गई है। क्या जनता ने आपको इसी प्रकार शासन संचालित करने के लिए चुना है?

इस प्रसंग में आप द्वारा की गई ठोस कार्यवाही को जानने की मुझे प्रतीक्षा रहेगी।

सादर

भवनिष्ठ
मनीराम शर्मा
अध्यक्ष,
इंडियन नेशनल बार एसोसिएशन, चूरू प्रसंग
रोडवेज डिपो के पीछे, सरदारशहर 331403 मो. 9194605417

भारत में पुलिस रज के पद सोपान और शासन तंत्र पर मजबूत पकड़

सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दे रखी है कि किसी भी व्यक्ति पर उसकी सहमति के बिना नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं किया जाए। किन्तु यह आदेश कितना प्रभावी है कहना आसान नहीं होगा। हिरासत में व्यक्ति से पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री इस्तेमाल किया जाना कोई नया नहीं है। फिर भी जब हिरासती व्यक्ति किसी प्रकार के नशे का आदी हो तो पुलिस के लिए यह कार्य और आसान है। नशीले पदार्थ और अवैध हथियार तो पुलिस के पास उपलब्ध रहते ही हैं। उसे मित्रतापूर्वक नशा करवाके पूछताछ की जाती है। यदि सामन्य नशे से बात न बने तो फिर बहुत ज्यादा नशा दिया जाता है और होश खोने पर उससे पूछताछ की जाती है। हिरासती व्यक्ति पर प्रयुक्त यातनाओं के मामले समय समय पर मिडिया के माध्यम से उजागर होते रहते है और पुलिस द्वारा नए-नए तथा अमानवीय तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मानवाधिकार पर 1955 में अंतर्राष्ट्रीय संधि के बावजूद इन्हें रोकने के लिए भारत में कोई कानून नहीं है और न ही हमारे संविधान में कहीं मानव अधिकार शब्द का उपयोग तक किया गया है। 6 करोड़ की आबादी वाले फिलीपींस ने इस सम्बन्ध में एक व्यापक कानून बना दिया है और भारत सरकार को इसके अनुसरण के लिए मैंने काफी समय पहले परामर्श भी दिया है। मारपीट तो पुलिस अपना अधिकार समझती है। गुप्तांगों में मिर्ची, पेट्रोल, केरोसिन, कंकड़, डंडे आदि का इस्तेमाल तो सर्व विदित हैं और ये तरीके अब पुराने पड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी के साथ की गयी अमानवीय बर्बरता से पूरा देश परिचित है। संवेदनशील अंगों को बिजली के नंगे तार से स्पर्श भी पुलिस द्वारा प्रयोग किया जाता है। हवालात में बंद व्यक्ति को सिर्फ अधो वस्त्रो में रखा जाता है और उसे न पेशाब के लिए बाहर लाया जाता और न ही उसे पीने के लिए पानी दिया जाता बल्कि एक घड़ा हवालात में ही रख दिया जता है और हिरासती व्यक्ति को यह कहा जाता है कि वह उस घड़े में पेशाब कर ले और प्यास लगने पर वही पी ले। कई बार तो हिरासती व्यक्ति को एक दम निर्वस्त्र करके रखा जाता है और साथ में उसकी माँ, बहन, सास आदि को भी उसी हवालात में निर्वस्त्र रखा जाता है तथा हिरासती व्यक्ति को दुष्कर्म के लिए विवश किया जाता है। पुलिस को जब लगे कि हिरासती व्यक्ति साधारण यातना से जुबान नहीं खोलेगा या अपराध (चाहे किया हो या नहीं) कबूल नहीं करेगा और शिकायतकर्ता ने पुलिस को खुश कर दिया हो तो यातना के और उन्नत व बर्बर तरीके अपना सकती है। हिरासती व्यक्ति के मुंह पर मजबूत टेप चिपका दी जाती है, टेबल पर सीधा लेटा दिया जाता है, हाथ पीछे की ओर बाँध दिए जाते हैं। अब उसकी नाक में पाइप से पानी चढ़ाया जाता है, व्यक्ति का दम घुटने लगता है और कई बार तो सांस भी चढ़ जाती है जो काफी देर बाद लौटती है। मल-मूत्र का बलपूर्वक सेवन करवाना, गर्म तेल या ठन्डे पानी, सिगरेट के टुकडे, तेजाब, पानी में डुबोना, दुष्कर्म, खींचकर नाखून-दांत-केश निकालना, धूप या तेज रोशनी, प्लास्टिक की थैली से सर ढककर दम घोटना, नींद और विश्राम के बिना लम्बी पूछताछ, सार्वजानिक स्थल पर बदनामी, परिवार के सदस्यों को हानि की धमकी, गांधी कटिंग आदि पुलिस बर्बरता की कहानी के कुछ प्रचलित नमूने हैं। बर्बर पुलिस टांगों के बीच में चारपाई फंसाने व गुप्तांगों पर तेज चोट पहुंचाकर नपुंसक बनाने का कृत्य भी निस्संकोच कर देती है और चुनौती देकर हिरासती व्यक्ति को यह कहती है कि अब तुम्हारी बीबी किसी और की ही प्रतीक्षा करेगी। स्मरणीय है कि पुलिस बर्बरता से निपटने के लिए देश में कोई प्रभावी कानून नहीं है। मानवाधिकार आयोगों में भी जांच के लिए पुलिस अधिकारी ही हैं और वे भाई चारे के मजबूत बंधन में बंधे हुए अपनी बिरादरी के विरुद्ध कोई न्यायोचित व सही रिपोर्ट नहीं करते। हमारी पुलिस वैसे भी तथ्यों को तोड़ने-मरोड़ने में सिद्धहस्त और भ्रष्ट है। इस कारण आपराधिक मामलों में मात्र 2 प्रतिशत को ही सजाएं होती हैं। जेल में बंद हिरासती व्यक्तियों को पैसे के बदले सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना तो समय समय पर मिडिया में उजागर होता रहता है और यदि कोई कैदी जेल से इस बीच भाग जाए तो जेल के सरियों को बाद में लोहे की आरी से काटकर जेल तोड़ने के मामले का रूप दे दिया जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र की रक्षक की पुलिस की कहानी का एक अंश मात्र है जो कि अंग्रेजी शासन काल से भी ज्यादा शर्मनाक है। आम नागरिक की तो हैसियत ही क्या है जब नडियाद (सुशासन वाले गुजरात राज्य) में एक मजिस्ट्रेट को जबरदस्ती शराब पिलाकर पुलिस ने उसका सरे बाज़ार आम जुलूस निकाल दिया था व डॉक्टरों से फर्जी प्रमाण पत्र हासिल कर लिया और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में कहा कि गुजरात प्रशासन पुलिस से डरता है। किन्तु किसी भी सरकार ने गत 67 वर्षों से इसमें सुधार का कोई निष्ठापूर्वक प्रयास नहीं किया है क्योंकि भारत में सभी सरकारें पुलिस की बर्बरता और भय उत्पन्न करने वाली कर्कश आवाज की ताकत पर ही चल रही हैं पार्टी या लेबल चाहे कुछ भी रहा हो।

टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला

रंजीत सिन्हा की भूमिका की जांच कराएगी सरकार

नई दिल्ली। टू जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला मामले की जांच से हटाए गए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और केन्द्र सरकार उनकी भूमिका की जांच कराने की तैयारी में है। सूत्रों ने यहां बताया कि सरकार जल्द ही सिन्हा को कारण बताओ नोटिस भेजेगी। इतना ही नहीं पूरा फैसला पढ़ने के बाद उनके खिलाफ सरकार आरोप पत्र भी जारी कर सकती है। न्यायालय ने सिन्हा के खिलाफ जो सवाल उठाए हैं, उसे सरकार काफी गंभीर मान रही है। शीर्ष अदालत की टिप्पणी सीबीआई जैसी जांच एजेंसी के लिए खतरनाक संकेत है। सूत्रों ने बताया कि अगले दो दिसम्बर को सिन्हा सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी भूमिका की जांच करा सकती है। इसके लिए जांच समिति भी बैठाई जा सकती है।

सिन्हा शर्मिन्दा नहीं : इस बीच सिन्हा ने कहा कि टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच तथा मुकदमे से हटने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश से वे शर्मिन्दा नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत पहले ही खुद को इस मामले से अलग कर लिया था। यह पूछे जाने पर कि क्या आपको शर्मिन्दगी नहीं महसूस हो रही है, उन्होंने कहा कि यदि इस मामले से बहुत अधिक जुड़ा होता तो मुझे जरूर बुरा लगता, लेकिन अब तो कई साल हो गए हैं और यकीन मानिए, मैं तो मामले का ब्यौरा भी भूल चुका हूं।

अपमान का आदी हुआ : सिन्हा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ काम करते हुए वे अनेक बार जलीलहो चुके हैं और अब वे इसके आदी हो चुके हैं। उन्होंने कहा, अब मुझे बुरा नहीं लगता। ज्ञातव्य है कि न्यायालय ने सिन्हा को निर्देश दिया है कि वह 2 जी स्पेक्ट्रम मामले की जांच तथा मुकदमे से खुद को अलग रखें। न्यायालय के इस आदेश के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सीबीआई निदेशक इस्तीफा देंगे। यह संभवत: पहला मौका होगा कि किसी सीबीआई निदेशक को किसी जांच से अलग किया गया होगा। सीबीआई निदेशक हलफनामे में एक पैराग्राफ जोड़ना चाहते थे जो आरोपियों के लिए मददगार हो सकता था। सीबीआई निदेशक ने अपने अफसर से बदसलूकी भी की। ये तमाम आरोप जब शीर्ष अदालत में पढ़े गए तो हर कोई हैरान और परेशान था कि किसी एजेंसी का मुखिया अपनी संस्था को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है।

वहीं दूसरी ओर सीबीआई अधिकारियों में भेदिया के रूप में डीआईजी संतोष रस्तोगी का नाम लिए जाने पर गहरी नाराजगी है। लेकिन रंजीत सिन्हा ने साफ संकेत दिया है कि अदालत की फटकार के बाद भी वे इस्तीफा नहीं देंगे और दो दिसम्बर को अपनी सेवानिवृत्ति तक काम करते रहेंगे।

सीबीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया था कि रंजीत सिन्हा ने खुद को बचाने के लिए संतोष रस्तोगी को बदनाम करने की कोशिश की है। जबकि रस्तोगी के खिलाफ कोई सुबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे सीबीआई की साख को गहरा धक्का लगा है और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों ने सीबीआई निदेशक को यह बता भी दिया।

यही कारण है कि अपने वकील द्वारा खुले कोर्ट में रस्तोगी का नाम लेने के बाद रंजीत सिन्हा इससे साफ मुकर रहे हैं। उनके अनुसार उन्होंने कभी अपनी ओर संतोष रस्तोगी का नाम नहीं लिया और न ही वकील को यह बात अदालत को बताने के लिए कहा था।

कोर्ट में प्रदर्शन कर रहे वकीलों पर लाठीचार्ज

ठाई। गैंगस्टर एक्ट के विशेष जज मनोज शुक्ल की अदालत में प्रदर्शनकारी वकीलों और उनके बीच हुई हाथापाई के बाद पीएसी ने लाठीचार्ज कर दिया। इस सिलसिले में वकीलों की ओर से जज और पीएसी के अज्ञात जवानों के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। दूसरी ओर सभी न्यायिक अधिकारियों की बैठक जिला जज के कक्ष में हुई। हाई कोर्ट को घटनाक्रम की जानकारी फैक्स से भेज दी गई है। जज की ओर से भी तहरीर भेजने की तैयारी की खबर है।

घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक वी.पी. चतुर्वेदी अदालत परिसर पहुंचे थे। उन्होंने मनोज शुक्ल व अन्य न्यायिक अधिकारियों से बात की। जज और वकीलों के बीच झगड़े का संवेदनशील मामला होने से पुलिस फिलहाल कार्रवाई को लेकर पशोपेश में है।

विशेष जज गैंगस्टर एक्ट मनोज शुक्ला के व्यवहार से क्षुब्ध वकील दीपावली के पहले से उनके स्थानांतरण की मांग को लेकर आंदोलनरत थे। वे लगातार अदालती काम का बहिष्कार कर रहे हैं। इसके बावजूद मनोज शुक्ल सारे विचाराधीन मामलों की नियमित सुनवाई कर रहे हैं। हत्या के प्रयास के एक क्रास मुकदमे में उन्होंने बिना वकीलों की मौजूदगी के ही फैसला सुनाकर दोनों पक्षों को जेल भेज दिया। इसके बाद वकीलों का पारा और ज्यादा चढ़ गया। इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश भी यहां मुंसिफ भवन जालौन का लोकार्पण करने आ चुके हैं। उनके सामने भी बार एसोसिएशन ने मनोज शुक्ल के स्थानांतरण को लेकर ज्ञापन पेश किया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि एजे ने इस बारे में सकारात्मक आश्वासन दिया था। इसके बावजूद आज तक मनोज शुक्ल के तबादले का आदेश नहीं भेजा गया है।

अध्यक्ष प्रद्युम्न कुमार श्रीवास्तव व सचिव अरविन्द गौतम चच्चू के नेतृत्व में वकीलों का प्रतिनिधिमंडल इस फैसले की जानकारी के लिए हर कोर्ट में संपर्क कर रहा था। इसी दौरान वकील गैंगस्टर कोर्ट में भी जा पहुंचे। जहां जज और वकीलों के बीच कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। वकीलों को काबू में करने के लिए जज के आदेश पर पीएसी ने उन पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया जिससे भगदड़ मच गई। इस घटनाक्रम से सारे न्यायिक पदाधिकारी स्तब्ध रह गए। बाद में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर मनोज शुक्ला ने बिना किसी उकसावे के वकीलों पर हमलावर होकर पीएसी से उन पर लाठीचार्ज करा दिया। जिसमें कई वकीलों को चोटें आई हैं। उनका मेडिकल कराया जा रहा है।

उधर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्चाधिकारी भी इस घटनाक्रम से सन्न हैं। घटना के तत्काल बाद प्रभारी निरीक्षक वी.पी. चतुर्वेदी अदालत पहुंचे थे। उन्होंने मनोज शुक्ल व अन्य न्यायिक अधिकारियों से वार्ता कर स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में सारे जज एकजुट हो गए हैं। उधर वकीलों ने भी उत्तर प्रदेश बार काउंसिल तक इस घटनाक्रम की जानकारी भेज दी है। पुलिस प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए संभल कर कदम उठा रहा है।

पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं

पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट पक्षकारों को हाईकोर्ट की सलाह

जयपुर। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट पक्षकारों को सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बजाय वैकल्पिक तौर पर मजिस्ट्रेट कोर्ट की शरण लेने की सलाह दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) में मजिस्ट्रेट के निर्देश से दर्ज एफआईआर पर मजिस्ट्रेट को अनुसंधान की निगरानी करने व समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट मंगवाने की शक्तियां प्राप्त हैं।

न्यायाधीश आर.एस. राठौड़ व न्यायाधीश वी.के. माथुर ने राजपाल की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित करते हुए कहा कि थानाधिकारी के एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने पर संबंधित पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी जा सकती है। सीआरपीसी की धारा 36 के तहत एसपी ऐसी शिकायत पर स्वयं या किसी अन्य अधिकारी को अनुसंधान सौंप सकता है। सीआरपीसी की धारा 97 के तहत मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति के अवैध हिरासत में होने पर पुलिस को ऐसे व्यक्ति को बरामद करने के आदेश दे सकता है। इसी प्रकार धारा 98 में मजिस्ट्रेट अवैध हिरासत में बंद वयस्क महिला या अवयस्क बालिका को उसकी इच्छा से जाने या माता-पिता, पति या कानूनी संरक्षक को सौंपने के आदेश दे सकता है।

यह है मामला

प्रार्थी राजपाल ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर कहा था कि उसकी पत्नी को कुछ लोगों ने गायब कर दिया है। मजिस्ट्रेट के निर्देश पर नामजद एफआईआर होने के बावजूद पुलिस कुछ नहीं कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि जब पहले से ही मामले में सीआरपीसी की धारा 156 (3) में मजिस्ट्रेट के आदेश से एफआईआर दर्ज है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण या सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आपराधिक विधिक याचिका दायर करने से पूर्व प्रार्थी को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष ही कानूनी उपचार हासिल करने चाहिए। कोर्ट ने याचिका निस्तारित करते हुए प्रार्थी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में जरूरी अर्जी दायर करने व मजिस्ट्रेट कोर्ट को इन पर कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई कर गायब महिला की बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

न्यायालय और मीडिया.... (पृष्ठ दो का शेष)

किया। केन्द्र के अध्यक्ष प्रो. संजीव भानावत ने केन्द्र की गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस मौके पर मुख्य वक्ता राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र भानावत ने स्वतंत्रता के साथ जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया। इस सत्र के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.के. रांका ने कहा है कि विधिक चेतना के विकास में मीडिया की भूमिका सकारात्मक रही है। उनका मानना था कि न्याय सत्य की नींव पर टिका होता है और न्यायाधीश इसी सत्य की खोज की यात्रा करता है।

हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति सनी सबेस्टियन ने कहा कि पत्रकारों के लिए विधि सम्बन्ध शोर्ट टर्म कोर्स चलाये जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग के समय मीडिया के सामने भी अनेक चुनौतियां आती हैं। इस कारण कभी-कभी पत्रकार के रिपोर्टिंग के अधिकार का भी हनन हो जाने की आशंका रहती है। एफईएस के राजेश्वर दयाल ने मीडिया के सामाजिक सरोकारों तथा बाजावाद के मध्य सम्बन्धों की व्याख्या की।

केन्द्र के अध्यक्ष प्रो. संजीव भानावत ने दो दिवसीय गोष्ठी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर हिसार के देबीलाल मिश्रा, जनसंपर्क कर्मी सुधीन्द्र कुमार तथा पत्रकार अमृत कटारा ने भी विचार प्रकट किए।

"विलम्बित न्याय, न्याय नहीं, तो यह अन्याय जारी क्यों?"

डॉ. मानचंद खंडेला
मो. 9462817770

"विलम्बित न्याय, न्याय नहीं होता होता है।" यह जुमला हम आजादी के बाद से लगातार पढते व सुनते आ रहे हैं। यह सुनाने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देश के प्रधानमंत्री, जेठमलानी व सुब्रमनियम स्वामी जैसे विख्यात अधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण लोग हैं ऐसे में प्रश्न उठता है फिर देश के करोडों लोगों के साथ यह अन्याय क्यों होता आ रहा है? इसका वास्तविक हल क्या नहीं है? हर समस्या का हल दृढ राजनैतिक इच्छा शक्ति, व्यवहारवादी सोच, जरूरी संवेदनशीलता, जनवादी दृष्टि, प्रशासनीय सख्त एवं वस्तुनिष्ठ निर्णय प्रकिया, व्यक्तिगत जवाबदेही के निर्धारण से निकाला जा सकता है। इस संबंध में भी ऐसा किया जाना बिल्कुल संभव है। यह हो कैसे इसे जानने से पहले समस्या की विकरालता को जानना जरूरी है।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 63800, उच्च न्यायालयों में 44 लाख तथा अधिनस्थ न्यायालयों में 2.6838 करोड लंबित बल्कि विलंबित पडे है। एक मोटे अनुमान के अनुसार फैसलों के निस्तारण की वर्तमान व्यवस्था में तो सभी मामलों को निपटाने में 345 साल लग सकते हैं। प्रति जज सर्वाधिक जनसंख्या भारत में ही है तथा उच्च न्यायालयों में ही करीब सात सौ जजों की कमी वर्तमान मापदंडों के आधार पर हैं। जो सुविधाएं न्यायालयों में हैं पश्चिमी देशों के मापदंडों के आधार पर तो वे नही के बराबर तथा न्यूनतम संभव जरूरतों की भी दस प्रतिशत ही है। कस्बा और ग्रामीण क्षेत्रों वाले न्यायिक परिस्थितियों की स्थिति तो आम तौर पर ऐसी ही है जहां जज के बैठने के लिए इज्जतदार कुर्सी भी नहीं होती है, बहुत आगे चल रहे कम्प्यूटिकरण के इस मामले में उनके पास ठकाठक करने वाला टाईपिस्ट तक नहीं होता है, कई अवसरों पर स्वयं जजों को ही यह करना पडता है। परिसर में भीड भाड, गंदगी, हल्ला गुल्ला, सिगरेट बीडी का धुंआ, निव ति सुविधा के अभाव से उत्पन्न सडांध आदि सामान्य बाजारों जैसी ही होती है। लोगों के बैठने, पेयजल, कैंटीन, भोजनालय आदि की बाते तो कल्पना के बाहर ही है। कोर्ट में सुनने और सुनाने वालों का भेद करना बहुत कठिन होता है। जज को ही कुछ किसी से सुनने के लिए दूसरों को शांत करवाना पडता है। लेखक ने तो स्वयं जयपुर में स्वयं देखा है कि कोर्ट का डेकोरम बहुत कम होता है, एक बार में एक केस की सुनवाई, निर्धारित कटघरे में जाकर गवाई देने, वकील एवं प्रतिपक्ष के वकील की तर्क आधारित आमने सामने की बहस, इस दौरान शांत वातावरण, जज की तनमयता जैसा नजारा बहुत कम देखने को मिलता है। वहां भिंडी, मूली, गाजर बाजार जैसी परिस्थितियां होती है। कोर्ट में एक साथ ही केस की फाईल निकलवाने, दर्ज करवाने, गवाह पेश करने, प्रतिवादी–वादी फरयादें सुनने–सुनाने, आवाज लगाने, "शांत रहिये" की बारबार आवाज लगाने, रिकार्ड करने आदि काम होते रहते हैं। इस वातावरण में भी जज फैसला करता है तो इसे कमाल ही माना जाना चाहिये।

यहां हम न्याय की आशा करते हैं यह जजों के प्रति ज्यादायती ही माना जायेगा। यहां तो न्याय होता नहीं बस फैसल बिकते हैं। एक दिन में कौनसे केस सुने जायेंगे यह पहले से तय होता है तथा उनकी फाईले निकालकर रखना संबंधित कोर्ट कर्मचारी का काम होता है। फिर भी बिना भेद दिये अपवाद स्वरूप ही किसी फाइल को समय पर निकाला जाता है। ऐसा मजाक भारत में ही संभव है कि जज पूरी तैयारी करके सुनाई के लिए बैठा हो और प्रबुद्ध अधिवक्ता के दूसरे केस में फंसे होने के कारण वहां उपस्थित नहीं हो पाने के कारण अगली तारीख दी जाती है। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्धारित अवधि में ट्रायल का पूरा होना कानूनी बाध्यता होती है तथा अधिकांश मामले में सुनवाई निरन्तर होती है। जबकि हमारे यहां कोर्ट स्टे बहुत आसानी से व बिना आधार के ही मिल जाता है। साथ ही स्टे पिरियड में कोई सुनवाई नहीं होती है। ऐसे में त्वरित निर्णय हो ही नहीं सकते हैं। इस व्यवस्था में न्याय तो क्या अन्याय भी समय पर नहीं होता है। वह भी निरन्तर चलता ही रहता है।

इस संबंध में एक व्यवहारिक उदाहरण देने से स्थितियों की विकरालता अच्छी तरह समझी जा सकती है। सुबोध शिक्षा समिति ने फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बी.एड पाठ्यक्रम की मान्यता ले ली, वह केस सीबीआई में गया, स्थिति चार्ज बहस तक पहुंच चुकी है। जहां बस तारीख पर तारीख ही बदली जा रही है। जबकि एस एफ एल रिपोर्ट में यह सिद्ध हो चुका है कि सर्टिफिकेट फर्जी तरीके से बनाया गया तथा बनाने वाला कौन है। यह तो न्याय की देवी के मंदिर में संपूर्ण अंधकार की ही स्थिति मानी जायेगी। क्योंकि चार्ज बहस की निर्धारित तारीख पर दूसरी तारीख इसलिये दी जाती है क्योंकि आरोपी जिस पर एक और मुकदमा सीबीआई में तथा दो प्राथमिक जांचे भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, राजस्थान में चल रही हैं। तीन एफआईआर पहले एसीबी में दर्ज हुई हैं। सुबोध कॉलेज के प्राचार्य डॉ. के बी शर्मा ही वह आरोपी है। जबकि आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के तीन संयुक्त निदेशकों की जांच समिति ने इनके प्राचार्य पद हेतु चयन को अनियमित सिद्ध कर दिया है तथा सुबोध शिक्षा समिति से धोखाधडी से उठाई 22 लाख रूपयों की गांठ को वसूलने की स्पष्ट सिफारिश की है। दूसरे आरोपी सुमेरसिंह बोथरा पर भी इतने ही मुकदमे चल रहे है। ऐसी अपराधी प्रवृति के व्यक्तियों को कोर्ट महत्वपूर्ण मानेगा तो समय पर फैसला आ भी कैसे सकता है?

इस बात से चाहे कितना भी इनकार किया जाये लेकिन हमारी न्यायिक व्यवस्था में धनबल, सम्पर्कबल का काफी प्रभाव है, यहां राजनीति फैसले बदलवा सकती है। तब ही तो जयललिता को 18 वर्षों के बाद सामान्य कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जा सका तथा पूर्व प्रधानमंत्री याने कोयला मंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ नहीं किये जाने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई पर अंगुली उठान पडी। मुलायमसिंह, मायावती जैसे कई राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ही तो वर्षो से अपने मामलों को अटकाने में सफल हो जाते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि विलम्ब की इस प्रक्रिया को रोका कैसे जा सकता है। इसके लिए जजों के अवकाश कम करने, प्रतिदिन काम के घंटे बढाने, उनकी उपस्थिति बायोमेट्रिक आधार पर दर्ज करने, परिसर तथा अदालत में सीसीटीवी की व्यवस्था करने, रात्रीकालीन कोर्ट्स लगाने, कोर्ट के बाहर निर्णय हेतु पंचाट जैसी सुविधाएं बढाने, एक ही प्रकार के मामलों जैसे बिजली पानी, किराया, छेडछाड आदि के लिये वृहत स्तर पर जन अदालते लगाने, गवाहों के बयान प्रथम बार में ही मजिस्ट्रेट के सामने लेने, संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाईन करने, कान्फ्रेंसिंग द्वारा मामलों की सुनवाई अधिकाधिक करने, ई मेल के माध्यम से तामील को वैध बनाने, एक केस में एक कारण जैसे वकील या पार्टी की अनुपस्थिति आदि के लिये दो बार से अधिक तारीख नहीं दिये जाने जैसे कदम तो तुरंत ही उठाये जा सकते हैं। साथ ही एक वकील के पास अधिकतम पेंडिंग केसेज की संख्या निर्धारित करने, साथ काम करने वाले वकीलों को सहदायित्व देने, उनकी प्रेक्टिस की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने, जजों के लिये मामले निस्तारण के मासिक व वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने, कोर्ट की मानहानि कानून को ढीला करने, प्रत्येक स्टे की अधिकतम अवधि 6 माह करने, निर्णय हिन्दी या स्थानीय भाषा में ही दिया जाना आवश्यक बनाने जैसे कदम भी उठाये जा सकते हैं।

सरकार वास्तव में ही त्वरित निस्तारण चाहती है तो उसे अवश्यकतानुसार जजों की नियुक्ति, कम्प्यूटर, बिजली, पानी, स्टेनों, इंटरनेट, प्रिन्टर, वांछित संख्या में कर्मचारी, आरादायक फर्नीचर, वातानुकुलन, सफाई पार्किंग, वकीलों के चेम्बर्स, केंटिन, सामान्य स्तर के भेजनालय, आम निवृति सुविधाओं का इंतजाम करना ही पडेगा। सरकार अरबों रूपयें मनरेगा पर प्रतिवर्ष खर्च कर सकती है तो जिस मुकदमे तो सरकारी के खिलाफ ही हैं और वे ही तारीखे लेने के आधार पर चल रहीं है। सरकारी वकील हर मामले की पेरवी करने के लिये बाह्य किये ही जा सकते हैं। ऐसा ही अंकुश, सरकारी अफसरों पर भी लगाया ही जा सकता है। एक ही धारा वाले एक ही प्रकार के प्ररकणों के संबंध में एक फैसले को एक क्षेत्राधिकार में सब पद लागू करने की व्यवस्था करने, पारिवारिक संबंधों के मामलों में समझौता वार्ता अनिवार्य रूप से करवाने, फैसले हेतु समय सीमा निर्धारित करने, कानूनों की यथा संभव संख करने करने पुलिस विभाग में जांच हेतु पुलिसकर्मियों का अलग समूह गठित करने, पुलिस में शिकायत और एफआईआर के बीच कुछ दिनों का कानूनी अंतराल रखने, प्रत्येक थाने में समझाइस एवं काउंसलिंग बनाने जैसे कदम उठाना भी समय की मांग हो गई है।

यह कटु यथार्थ है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार तुलनात्मक रूप से तेजी से तथा व्यापकतर रूप से बढता जा रहा है। इसीलिये प्रभावशाली, धनी, माफियाबाज आदि लोग अपने विरूद्ध आंशकित फैसले को कानून का दुरूपयोग कर रूकवाते रहते हैं। ऐसे में आदयन अपराधवृति वालें लोगों के मामले को विशेष अदालतों में हस्तान्तरित करने, शपथपत्र पर बयान लेने, सब कुछ दस्तावेजी सबूत ऑन लाईन करने, भ्रष्टाचार के आरोपी न्यायिक अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आने, न्यायाधीशों की सम्पति घोषित करवाने, उनके अति समाजिकीकरण को नियंत्रित करने, जवाबदेही को बढाने, उन्हें भी सरकारी कर्मचारी ही मानने, उनके विरूद्ध शिकायतों को प्रोत्साहित करने जैसे कदम त्वरित न्याय को संभव बना सकते है। यह सब कुछ करने के साथ ही जजों के फैसलों पर हायर कोर्ट द्वारा तुरंत स्टे दे देने, बिल्कुल विरोधीभाषी निर्णय देने, कानून या नियम की कमी बताने, जीवन की धारा को ही बदल देने वाले फैसले पर कंटेम्ट जैसी कोई कार्रवाई किये जाने की व्यवस्था किया जाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि जज न्याय देकर भगवान का रूप हो सकते हैं केवल फैसले देकर नहीं। एक बैंच सर्विस मेटर्स में बिल्कुल एक समान कारण पर स्टे देने में व्यक्तिपरकता दिखाती है तो उसकी जांच होनी ही चाहिये।

विलम्बित फैसलों का सबसे बडा कारण जजों के लिये कोई कोड ऑफ कन्डक्ट, नौकरी की शर्तो, मोनिटरिंग व्यवस्था और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होना हैं क्योंकि उनको व्यवहार में अलग तरह का जीव मान लिया जाता है। जो हमारी दासता की प्रवृति का ही परिणाम है। जिसे मिटाना सरकार, समाज, वकीलों के साथ ही जजों का भी दायित्व है।

सुप्रीम कोर्ट बेंच के अन्यत्र गठन संबंधी जानकारी नहीं होगी साझा

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के बाहर किस हिस्से में सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करना प्रस्तावित है, इस बारे में जानकारी किसी कीमत पर सार्वजनिक नहीं की जा सकती है। यह व्यवस्था देते हुए केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आशंका जताई है कि इस बारे में सूचना उजागर होने से क्षेत्रीय भावनाएं फैल सकती हैं। साथ ही अनावयक सियासी विवाद पैदा हो सकता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया

सीआईसी ने अपने आदेश में पीठ सीपना करने संबंधी जानकारी नहीं मुहैया कराने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही ठहराया। साथ ही शीर्ष न्यायालय को इस संबंध में जानकारी रोकने की इजाजत प्रदान कर दी।

तर्क में है दम

आयोग की पूर्ण पीठ का कहना था कि हम प्रतिवादी के इस तर्क को दमदार पा रहे हैं कि मांगी गई सूचना यदि इस समय सार्वजनिक कर दी गई तो इससे सियासी किस्म का गैर जरूरी विवाद खड़ा हो सकता है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के प्रभावी संचालन के लिए यह जरूरी है कि सूचना सार्वजनिक करने से बचा जाए और मांग की अनदेखी कर दी जाए।

मदुरै के राजीव ने मांगी थी जानकारी

मदुरै के राजीव रफस ने दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की पीठ गठन संबंधी शीर्ष न्यायालय की पूर्ण कोर्ट की बैठक का पूरा ब्यौरा मांगा था। आरटीआई कानून के तहत दायर अपनी अर्जी में राजीव ने इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्थायी संसदीय समिति को भेजे पत्र की प्रति भी मुहैया कराने का भी आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी यह मांग ठुकराते हुए यह जानकारी देने से मना कर दिया। मामला फिर सीआईसी पहुंचा, जहां पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के वकील रोहित शर्मा ने कहा कि शुरुआती दौर में जानकारी सार्वजनिक होने से सियासी विवाद खड़ा हो सकता है।

विकलांगों को आरक्षण नहीं देने पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्यीय खंडपीठ ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति में विकलांगों को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में बिहार सरकार और बिहार लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी कर एक हफ्ते में जवाब मांगा है।

बिहार लोक सेवा आयोग ने हाल ही में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्राचार्यों के पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन दिया। कुल 3364 विज्ञापित पदों में विकलांगों को आरक्षण नहीं दिया गया। अनुसूचित जाति (542 पद), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (590 पद), पिछड़ा वर्ग (403 पद) और पिछड़े वर्ग की महिला (67 पद) के मामले में आरक्षण लागू किया है। लेकिन विकलांगों के मामले में तीन फीसद कानूनी आरक्षण के प्रावधान को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है।

विकलांगों को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्वाग्रह का पता इस बात से चलता है कि इन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की तरह तय आवेदन शुल्क में भी रियायत नहीं दी गई है। इस तरह बिहार लोक सेवा आयोग ने विकलांगों के समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की 32 और 33 धाराओं का उल्लंघन किया है। इसके मुताबिक, विकलांगों को भारत सरकार और राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्तशासी/निगमों और स्थानीय स्वशासन के निकायों के तहत सभी श्रेणी की नौकरियों (जिसमें ग्रुप ए, बी, सी और डी शामिल हैं) में तीन फीसद (जिसमें एक फीसद शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए, एक फीसद दृष्टि बाधितों और एक फीसद श्रवण बाधितों) का प्रावधान किया गया है। साथ ही न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारी फाउंडेशन बनाम भारतीय संघ, याचिका प्रतिवेदन (असैनिक) संख्या-116/1998 के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को सरकारी नौकरियों में विकलांगों के लिए तीन फीसद आरक्षण के प्रावधान को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है। ऐसी ही परिस्थिति में सोसायटी के मानद अध्यक्ष और जेएनयू के विकलांगता अध्यन विशेषज्ञ डॉक्टर जी.एन. कर्ण ने सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अपर्णा भट्ट के माध्यम से विकलांगों के समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण सहभागिता अधिनियम (1955) के तहत तीन फीसद आरक्षण तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

फैसलों की गुणवत्ता परखेगा सुप्रीम कोर्ट

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने अब हाईकोर्ट में होने वाले फैसलों की गुणवत्ता परखने का भी फैसला किया है। इसके लिए अब सभी हाईकोर्ट न्यायाधीशों को अपने-अपने निपटाए गए कुल मुकदमों की संख्या के साथ 2012 से दिए गए रिपोर्टेबल फैसले को भी भेजने होंगे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दत्तू ने पिछले दिनों सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखे हैं।

अब तक होता था

अब तक सुप्रीम कोर्ट को सभी हाईकोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में प्रत्येक तिमाही में दायर, निस्तारित व लम्बित मुकदमों की संख्या व प्रत्येक हाईकोर्ट के निस्तारित मुकदमों की संख्या ही भेजी जाती है।

अब यह होगा

प्रत्येक हाईकोर्ट न्यायाधीश को एकलपीठ, खंडपीठ या वृहद पीठ में दिए अपने-अपने रिपोर्टेबल फैसले भेजने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मेट में सभी न्यायाधीशों का विवरण भी भेजने के निर्देश दिए हैं।

कवायद पर कयास

जानकारों के मुताबिक फैसलों की गुणवत्ता के आधार पर हाईकोर्ट न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में पदस्थापित करने या न करने पर राय कायम कर सकता है। हालांकि कुछ एडवोकेट्स का कयास है कि यह कवायद न्यायाधीशों के स्थानांतरण को लेकर भी हो सकती है।

यह अच्छी शुरुआत है। मेरे विचार में यह भविष्य की कवायद है, ताकि अच्छे हाईकोर्ट न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट लाए जा सकें। इससे भविष्य में सुप्रीम कोर्ट जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आएगी।

– **गिरधारी सिंह बापना**, पूर्व महाधिवक्ता राजस्थान

कांग्रेस सरकार बचाने को ली गई रिश्वत पर चुकाना होगा आयकर

नई दिल्ली। 1993 में कांग्रेस की नरसिम्हा राव की सरकार बचाने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) प्रमुख शिबू सोरेन व पार्टी के तीन तत्कालीन सांसदों द्वारा ली गई रिश्वत की रकम आयकर के दायरे में आती है। अब शिबू सोरेन व अन्य तीनों को रिश्वत की रकम पर कर चुकाना होगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की खंडपीठ ने फैसला देते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को निरस्त कर दिया। न्यायाधिकरण ने कहा था कि इन सांसदों को मिली धनराशि कर योग्य नहीं है। इसके बाद आयकर विभाग ने न्यायाधिकरण के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

आयकर विभाग ने याचिका में कहा था कि झामुमो के प्रमुख शिबू सोरेन और तीन तत्कालीन सांसदों सूरज मंडल, साइमन मरांडी और शैलेन्द्र महतो को दी गई रकम रिश्वत थी। यह अघोषित आमदनी थी, जो कर के दायरे में आती है।

काले धन पर केन्द्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ब्रिटेन स्थित कंपनी वेदांता रिर्सोसेज की सहायक कंपनी से चंदा प्राप्त करने के मामले में भाजपा और कांग्रेस पार्टी को पहली नजर में विदेशी कोष कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भाजपा की याचिका पर केन्द्र और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किए। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू की अध्यक्षता वाले खंडपीठ ने इस याचिका पर नोटिस जारी करने के साथ ही इस फैसले के खिलाफ पहले से लंबित कांग्रेस की याचिका के साथ मामले को संलग्न कर दिया।

भाजपा ने इस आदेश की चुनौती देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने कानून की व्याख्या करने में चूक की है और अनिल अग्रवाल व उनके परिवार के सदस्यों की कंपनी में 50 फीसद से अधिक हिस्सेदारी है और उनके द्वारा किसी भी तरह के योगदान को विदेशी स्रोत से योगदान नहीं माना जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य की सराहना नहीं की कि कंपनी कानून की धारा 591 के प्रयोजन के लिए वेदांता रिर्सोसेज पीएलसी को विदेशी कंपनी मान भी लिया जाए तो भी याचिकाकर्ता और दूसरे राजनीतिक दलों ने उसमें योगदान लेकर विदेशी चंदा (विनियमन) कानून 1976 या 2010 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। याचिका में दलील दी गई है कि वेदांता कंपनी के मालिक भारतीय नागरिक हैं और उनकी सहायक कंपनी यहां पर पंजीकृत है, इसलिए वे विदेशी स्रोत नहीं हैं।

हाईकोर्ट ने गैर सरकारी संगठन डेमोक्रेटिक रिफार्म्स और पूर्व सचिव ईएएस शर्मा की जनहित याचिका पर अपने फैसले में कहा था कि कंपनी कानून के तहत वेदांता विदेशी कंपनी है और इसलिए अनिल अग्रवाल के स्वामित्व वाली कंपनी और उसकी सहायक स्टरलाइट और सेसा विदेशी योगदान (विनियमन) कानून के अनुसार विदेशी स्रोत हैं।

पीड़िता के मुकरने पर बलात्कार का आरोपी बरी

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर एक तलाकशुदा महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोपी को बरी कर दिया है। पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी।

अदालत ने दिल्ली निवासी मनोज को महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और उसे धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया। दो बच्चों की मां इस महिला ने अदालतम से कहा कि मनोज ने न तो कभी उससे शादी करने का वादा किया था और ना ही जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा कि मामले के तथ्य और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां महिला ने आरोपी के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, यह सुरक्षित तौर पर कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। इसलिए आरोपी इन आरोपों से बरी किए जाने का हकदार है।

बैंक पर लगाया जुर्माना : यहां के एक उपभोक्ता मंच ने एक बुजुर्ग महिला के चेक का मनमाने तौर पर बार-बार सम्मन नहीं करने के मामले में एक बैंक को उन्हें 25 हजार रुपए का मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है।

सी.के. चतुर्वेदी की अध्यक्षता वाले नई दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने पंजाब नेशनल बैंक से सुनयना मलिक नाम की महिला को मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर 25 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है। चतुर्वेदी ने इस बात का जिक्र किया कि महिला को मुआवजे और मुकदमे के खर्च के तौर पर 25 हजार रुपए अदा करने का आदेश दिया है। चतुर्वेदी ने इस बात का जिक्र किया कि 1.5 लाख रुपए के चेक का सम्मान करने के लिए पर्याप्त राशि जमा थी एस.आर. चौधरी और रितु गरोदिया की सदस्यता वाली मंच की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है। चेक का बार-बार सम्मान नहीं कर उन्हें इतना प्रताड़ित किया गया कि उन्हें पीएनबी गाजियाबाद से नकद राशि निकलने के लिए और एक सार्वजनिक वाहन से इसे द्वारका स्थित अपने घर वापस ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा जबकि वह कई बार बैंक गई थी। मंच ने कहा कि बैंक ने अपने कर्त्तव्य निर्वहन में बहुत लापरवाही बरती और अपने मनमाने तथा लापरवाह बर्ताव के लिए कोई उचित कारण नहीं दिया। साथ ही, यह भी पाया गया कि बैंक ठीक से सेवा प्रदान नहीं करने का दोषी है। मंच ने कहा कि इसलिए हम बैंक से 20 हजार रुपए का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में पांच हजार रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने का निर्देश देते हैं।

सुनयना ने मंच को दी शिकायत में कहा था कि उन्होंने एक चेक जारी कर एक अन्य बैंक से 1.5 लाख रुपए की निकासी पीएनबी गाजियाबाद के अपने खाते से करने की अर्जी दी थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि पीएनबी ने इस आधार पर चेक का भुगतान करने से इनकार कर दिया कि खाता चालू नहीं (निष्क्रिय) है जबकि उन्होंने खाते में हर महीने नियमित रूप से पैसा जमा कराया था।

बलात्कार और हत्या जैसे आरोप समझौता होने के बावजूद निरस्त नहीं किये जा सकते

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि पीड़ित और आरोपी के बीच समझौता हो जाने के बावजूद बलात्कार और हत्या जैसे संगीन आरोपों में आपराधिक कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती है। न्यायालय के अनुसार समाज पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और न्यायमूर्ति एन.वी. रमण की खंडपीठ ने कहा कि दूसरे अपराध, जो सार्वजनिक शांति व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं हों और दो व्यक्तियों या समूह तक ही सीमित हों, पक्षों में समझौता होने के बाद निरस्त किये जा सकते हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि उच्च न्यायालय कार्यवाही निरस्त करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है जो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। बलात्कार और हत्या आदि जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित मामलों में की कार्यवाही निरस्त नहीं की जा सकती क्योंकि इसका समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि गंभीर अपराध के मामलों में यह नहीं कहा जा सकता कि वे दो व्यक्तियों या समूह तक सीमित थे और ऐसे अपराधों को निरस्त करने से समाज में गलत संदेश जायेगा। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामले, जिनमें पक्षों में समझौता हो जाता है, अभियोजन पंगु अभियोजन बन जाता है और पंगु अभियोजन को आगे बढ़ाना समय और ऊर्जा की बर्बादी है। शीर्ष अदालत ने विभिन्न दोषियों द्वारा दायर याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही निरस्त करने का अनुरोध करते हुए कहा गया था कि पीड़ितों के साथ उनका सौहार्दपूर्ण तरीके से समझौता हो गया।

वकीलों के लिपिकों के लिए सामाजिक सहायता उपाय याचिका पर जवाब तलब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में वकीलों के लिपिकों के लिए सामाजिक सहायता उपायों के लिए नियम तैयार करने के लिए दायर याचिका पर केन्द्र और राज्य सरकारों से जवाब तलब किए। ये संगठन चाहता है कि क्लर्क की मृत्यु होने या उसके विकलांग होने जैसी स्थिति में मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश एच.एल. दत्तू और न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी की खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे द्वारा बहस शुरू करने के साथ ही इस याचिका पर नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

यह एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के साथ कार्यरत करीब 800 लिपिकों (क्लर्क) का प्रतिनिधित्व करती है। एसोसिएशन ने अपने सचिव और पुरुषोत्तम के माध्यम से यह याचिका दायर की है। एसोसिएशन ने विधि मंत्रालय, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके लिपिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा के उपायों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। याचिका में वकीलों के क्लर्क के लिए तत्काल सामाजिक सुरक्षा लागू करने के लिए केन्द्र को कानून बनाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। इसी तरह क्लर्क के नि:शक्त होने या फिर उसकी मृत्यु होने पर उसके परिवार की मदद के लिए एडवोकेट्स क्लर्क्स वेलफेयर कोष स्थापना करने का भी अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने संसद को 'मैरिज बिल' रोकने का निर्देश दिया!

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने संसद के समक्ष विचाराधीन किसी भी विधेयक में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, किन्तु इसने एक तलाक-मुकदमे में फैसला देते समय, लोकसभा में विचाराधीन ''विवाह कानून (संशोधन) विधेयक, 2013'' पर प्रश्न खड़ा करना उचित समझा। जस्टिस विक्रमजीत सेन तथा पी.सी. पंत की बैंच ने विधेयक में विवाह के ''असुधार्य विघटन'' को विवाह को रद्द करने का आधार बनाने वाले विधेयक पर प्रश्न खड़ा किया है। बैंच ने कहा, ''यह एक बड़ी बहस का मुद्दा है कि भारतीय स्थितियों में, जहां महिलाओं का निरंकुश शोषण होता है, क्या इस प्रकार का आधार (असुधार्य विघटन) जरा भी उचित होगा।

'' बैंच ने आशा व्यक्त की कि ''इस विवाद पर लोकसभा विचार करेगी'' क्योंकि विधेयक राज्यसभा द्वारा पहले ही पारित हो चुका है। बैंच ने यह स्वीकार किया कि यह विधेयक विधि आयोग की 1978 तथा 2009 की दो रिपोर्टों पर आधारित है। यह टिप्पणी इसलिये और महत्वपूर्ण हो जाती है कि केवल दो दिन पूर्व ही विधि मंत्री सदानंद गौड़ा ने यहां पत्रकारों से कहा था कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी। बैंच ने एक पति द्वारा चहे गये तलाक की अनुमति दे दी। न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा की गई मात्र एक झूठी आपराधिक शिकायत को अत्याचार के समान मानते हुए इसे तलाक देने का आधार माना है। पति ने तलाक इस आधार पर चाहा था कि उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना की झूठी शिकायत दर्ज करायी थी, जिसके फलस्वरूप उसे तथा उसके परिवार के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया।

पत्नी ने दलील दी कि दहेज मुकदमे में उसके पति तथा उसके संबंधियों का दोषमुक्त हो जाना मात्र यह सिद्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं है कि उसने जानबूझकर मुकदमा दायर किया था तथा न उस पर निर्दयता का आरोप लगाया जा सकता है। उसका कहना था कि जांच भी दोषपूर्ण हो सकती है या फिर अभियोजन में लापरवाही हो सकती है जिसके फलस्वरूप ये लोग दोषमुक्त मान लिये गये हैं।

जिला उपभोक्ता फोरम में अब 50 लाख रु. तक के दावे किये जा सकेंगे

दो लाख रु. तक के उपभोक्ता मुकदमों में वकील की बाध्यता खत्म होगी

नई दिल्ली। आम उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सरकार सम्बन्धित कानून में भारी बदलाव करेगी तथा मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों की बाध्यता समाप्त करेगी।

उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सूत्रों के अनुसार नये बदलाव के तहत उपभोक्ता की शिकायतों को 21 दिनों के अंदर स्वीकृत करना होगा अन्यथा इसके बाद शिकायत स्वतः स्वीकृत हो जायेगी और उसकी सुनवाई शुरू हो जायेगी।

इसके साथ ही दो लाख रुपए तक दावे वाले मुकदमे को लड़ने के लिए किसी भी पक्ष को वकील रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा जिला उपभोक्ता फोरम में 20 लाख रुपए के दावे की जगह 50 लाख रुपए तक के मामले की शिकायत की जा सकेगी।

सूत्रों ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण कानून में जहां से सामान खरीदा गया है वहीं शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था समाप्त की जायेगी तथा उपभोक्ता अब अपने निवास स्थान से ही शिकायत दर्ज करा सकेंगे। राज्य उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ रुपए तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में एक करोड़ से अधिक के दावों की शिकायत की जा सकेगी।

अब तक केवल एक उत्पाद को ही उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत रखा गया था लेकिन अब सेवाओं को भी इसके दायरे में लाया जायेगा। सूत्रों के अनुसार सामूहिक स्तर के मामलों के निपटारे के लिए एक प्राधिकरण का भी गठन किया जायेगा जबकि व्यक्तिगत स्तर के मामलों का निपटारा उपभोक्ता फोरम के स्तर पर ही होगा।

सूत्रों ने बताया कि यदि किसी कार में खरीद के बाद कोई शिकायत आती है तो प्राधिकरण उस लाट की सभी कारों की जांच के लिए स्वतंत्र होगा। स्वास्थ्य तथा खतरनाक मामलों को छोड़कर उपभोक्ता फोरम के बाहर दोनों पक्ष आपसी समझौता करने को स्वतंत्र होंगे। सूत्रों ने बताया कि 90 प्रतिशत शिकायतें जिला स्तर पर होती है इसलिए इस स्तर पर व्यवस्था को सबसे दुरुस्त करने की जरूरत है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग भी अपने यहां से आवेदनों को संबंधित फोरम को भेज दिया जायेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 का बना है जिसमें व्यापक बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही थी। विभाग इससे सम्बन्धित कानूनी बदलाव के तेजी से प्रयास कर रहा है ताकि इसे जल्द से जल्द संसद में पेश किया जा सके।

'अक्खड़' पौधे की नई प्रजाति 'स्टीविया' मधुमेह के लिए रामबाण औषधि

चीनी का विकल्प बनी स्टीविया पौधे की पत्तियां

जयपुर। राज्य के खेत-खलिहानों में कुछ साल पहले तक बहुतायत में पाया जाने वाले 'अक्खड़' पौधे को विदेशी कृषि वैज्ञानिकों ने उसकी नई किस्म 'स्टीविया' के रूप में पेश कर मधुमेह रोगियों के लिए एक सौगात देने का काम किया है। मधुमेह रोगियों के लिए चीनी के विकल्प के रूप में काम आने वाली स्टीविया की खेती भविष्य में प्रदेश के अनेक हिस्सों में होने से किसान की आमद में वृद्धि होगी।

स्टीविया का उपयोग आयुर्वेदिक दवाओं में होने से इसकी मांग तेजी से बढ़ गई है। स्टीविया की फसल चार साल के लिए होती है, पौधों के बढ़ने पर उनकी कटाई कर दी जाती है, जिसको आयुर्वेदिक दवा बनाने वाले खरीद ले जाते हैं। राज्य सरकार ने औषधीय फसल के लिए उदयपुर में लघु वन उपज विशिष्ट मंडी की घोषणा की है, जिसमें इस तरह की औषधीय दवाइयों की बिक्री की जाएगी।

अक्खड़ से स्टीविया का सफर

उद्यान वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्व में लोग अक्खड़ की पत्तियों का उपयोग खाने और चाय को मीठा करने के लिए उपयोग में लेते थे। लेकिन कालांतर में इसका उपयोग करीब-करीब बंद सा कर दिया। बाद के वर्षों में विदेशों में मधुमेह की बीमारी के बढ़ने पर जब यह देखा गया कि अक्खड़ एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग चीनी के विकल्प के रूप में लिया जा सकता है। इस पर विदेशी वैज्ञानिकों ने शोध कर अक्खड़ पौधे की नई प्रजाति तैयार की, जिसका नाम स्टीविया रखा गया। राज्य का उद्यान विभाग स्टीविया की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान भी किसानों को देता है।

पाक्षिक
न्यायिक ज्वाला

आजीवन	:	रू. 1500/-
वार्षिक शुल्क	:	रू. 100/-
मासिक	:	रू. 10/-
एक प्रति	:	रू. 5/-

न्यायिक ज्वाला
एसबी-3, ओटीएस के सामने, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर
फोन : 2701029, 2710110

श्री गांधी दर्शन प्रणीत् संस्थान् शुद्धिकरण मंच, जयपुर

सच्चे नागरिक की चिंता और चिंतन की एक झलक

एक समय था गर्व का, करिये उस पर गौर।
विश्व गुरू के रूप में, था भारत सिरमौर।।
था भारत सिरमौर, विश्व को मानवधर्म सिखाया।
ज्ञान और विज्ञान, शिखर पर था परचम लहराया।
कह "दयाल" इसकी मिसाल, नही कोई राष्ट्र बन पाया।
सत्य–अंहिसा–नैतिकता का जग को पाठ पढाया।

दुनिया को जिसने दिया, वेद शास्त्र का ज्ञान।
गीता–रामायण बनी, जिसकी जग पहिचान।।
जिसकी जग पहिचान, जहां पूजा नारी की होती।
देव भूमि बन जहां धर्म की, जली हमेशा ज्योती।।
कह "दयाल" बदहाल हो गयी, उस भारत की काया।
सभी विशेषण सुप्त हो गये, अनाचार है छाया।।

सरे आम होने लगा, नारी का अपमान।
धर्म–नीति और न्याय की, उजर गई पहचान।।
उजर गई पहचान, स्वार्थ में डूबे बहु मतवाले।
रिश्वत के संग भ्रष्ट आवाण, पनप रहे घोटाले।।
कह "दयाल" दे ताज, तोड रहे चोर घरों के वासे।
रक्षक ही भक्षक बन जाते, रक्षा करने वाले।।

नहीं सुरक्षित सरहदें, अंदर भी आतंक।
हत्याऐं नित हो रही, दुरजन हुए निशंक।।
दुरजन हुये निशंक, डकेती करते नहीं अघाते।
शासन है लाचार, इसलिए खौफ तनिक नहीं खाते।।
कह "दयाल" बदहाल हुये जन, खा मार दारू दानव की।
उपर से मंहगाई खा रही, प्राण राष्ट्र मानव की।।

लोकतंत्र के नाम पर, पार्टी तंत्र हुआ खास।
वह भी इक तंत्री बना, जनता हुई निराश।।
जनता हुई निराश, सिर्फ एक दिन पंचवर्षी आता।
केवल उस दिन का जनराजा, फिर नौकर बन जाता।।
कह "दयाल" यह जाल, कटेगा नहीं जब तक जन–जनका।
जब तक ग्राम स्वराज्य न होगा, गांधी के दर्शन का।।

प्रस्तोता
(रामदयाल खण्डेलवाल)
लोक सेवक/संयोजक
48, सचिवालय कॉलोनी, बरकत नगर, जयपुर–15
फोन–0141–2590350, मो.–9928397848

परामर्श मण्डल न्यायिक ज्वाला

1.	श्री जे.पी. बंसल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
2.	श्री दामोदर मिश्रा	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
3.	श्री वी.के. अग्रवाल	सेवा निवृत्त न्यायाधीश
4.	श्री डॉ.पी.एन. रछोया	सेवा निवृत्त अति. महानिदेशक, राजस्थान पुलिस
5.	डा. मोहिनी शर्मा	एसोसिएट प्रोफेसर, महारानी कॉलेज
6.	श्री के.सी. सेठी	एडवोकेट सुप्रीमकोर्ट
7.	श्री रामदयाल खंडेलवाल	संस्थानिक प्रतिनिधि
8.	श्री वी.एन. सक्सेना	एडवोकेट

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक श्रीगोपाल शर्मा के लिये अम्बर ऑफसेट प्रा.लि.कार्यालय मुकुन्दगढ़ हाऊस, संसार चन्द्र रोड, जयपुर से मुद्रित एवं एस.बी.–3, ओटीएस के सामने, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर से प्रकाशित। फोन : 2710110 प्रधान संपादक श्रीगोपाल शर्मा, संपादक सुधीर शर्मा, सह सम्पादक गोविन्द मिश्र, सुरेश अग्रवाल। **Website : www.nyayikjwala.org.**
ई–मेल आई डी : sgs.nyayikjwala@yahoo.com, info@nyayikjwala.org. पत्र से संबंधित तमाम विवादों का निपटारा जयपुर न्यायिक क्षेत्र में ही होगा।